☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फेक्स : 07582 - 222070, 224543
E-mail : dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक 137 /स्टेनो/2020

सागर, दिनांक 23–04–2020

आदेश

(मात्र नगर निगम क्षेत्र सागर, छाबनी परिषद (केन्ट) क्षेत्र सागर एवं नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया बुजुर्ग के लिए)

कोविड–19 के संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की आशंका को निर्मूल करने की दृष्टि से जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर **1– नगर निगम क्षेत्र सागर 2– छाबनी परिषद (केन्ट) क्षेत्र सागर तथा 3– नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया बुजुर्ग** के लिए, द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के अंतर्गत टोटल लॉकडाउन घोषित करते हुए, निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है :–

1– चिकित्सकीय सहायता/आवश्यकता जैसी आपवादिक असामान्य परिस्थितियों के सिवाय किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया/चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी ।

2– समस्त दूध डेयरी/मिल्क बूथ खुले रहेंगे तथा दूध की घर–घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी।

3– दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल (जिनमें समस्त निजी नर्सिग होम/अस्पताल/क्लीनिक्स शामिल) खुले रहेंगे ।

4– रसोई गैस (LPG) की एजेंसियां एवं पैट्रोल पंप खुले रहेंगे तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर–घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी ।

5– सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी (घर पहुंच सेवा) के माध्यम से हो सकेगी। (सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर–घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेगें)

6– सभी किराना दुकानें अपने वार्ड क्षेत्र में किराना सामग्री की होम डिलेवरी कर सकेंगी, इस हेतु उन्हें किसी पास की आवश्कता नहीं होगी । पुनः स्पष्ट किया जाता है कि केवल होम डिलेवरी की अनुमति दी गई है, ग्राहक दुकान पर आकर सामग्री क्रय नहीं कर सकेंगे । बिना पास के होम डिलेवरी करने की सुविधा केवल जिस वार्ड में दुकान स्थित है, उसी वार्ड के लिए दी गई हैं ।

7– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित समस्त उचित मूल्य की राशन की दुकानें प्रतिदिन नियत समयावधि में खुली रहकर संचालित रहेंगी ।

8– खाद (उर्वरक), बीज, कीटनाशक दवाओं, कृषि उपकरण एवं पशु आहार की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।

9– प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर इससे मुक्त रहेंगे ।

10– सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का, चाहे वे माल से भरे हुए हो अथवा खाली हो, आवागमन चालू रहेगा ।

Addl.Distt.Magistrate
Distt. Sagar (M.P.)